न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 44 / 2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/ 29)

जगविन्द्र सिह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति तरखान (रामगढिया) निवासी चक 6 डी.डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 18.04.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के प्रकरण संख्या 10 / 2021 आदेश दिनांक 15.11.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 चक 17 जी.एम. मु.न. 143 / 12 खाता सं. 99 मे बख्तावरसिह पुत्र सन्तासिह जटसिख के स्थान पर बख्तावरसिह पुत्र सन्तासिह जाति तरखान(रामगढिया) जरिये दूरूस्ती अकित किये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.11.2021 द्वारा प्रार्थना पत्र 136 खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट के दादा बख्तावर सिह पुत्र संतासिह के नाम से वाके चक 17 जी एम तहसील श्रीविजयनगर के मुरब्बा नम्बर 57 पत्थर नम्बर 143 / 12 का किला

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 11/1, तादादी 2.708 हैक्टयर मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसमे बख्तावर सिह के जाति के कॉलम मे तारखान (रामगढिया) के बजाय जटसिख दर्ज हो गया, जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई गई, जो रिपोर्ट दिनांक 27.10.2020 को आने पर निस्तारण हेतु प्रकरण को अभियान मे रखा गया जहा पर पत्रावली के सलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किये बगैर मात्र पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा जो दस्तावेज पेश किये उसमें बख्तावर सिह का मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, व अन्य मुरब्बा नं. 124/48 की खरीद शुदा कृषि भूमि की जमाबन्दी, सरपंच द्वारा जाति तस्दीक प्रमाण पत्र, वारिसान तस्दीक प्रमाण पत्र, बैयनामा की प्रति पेश की है, जिसमें यह पुख्ता साबित है कि अपीलान्ट के दादा की जाति रामगढिया है जिसे सहवन से जटसिख दर्ज किया है। जिसे धारा 136 एल आर एक्ट के प्रावधानो में दुरूस्ती की किंये जाने के प्रावधान है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2021 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेशित किया जावे कि जैर अपील रकबा मे खातेदार बख्तावर सिह पुत्र संतासिह जाति जटसिख के स्थान पर बख्तावर सिह पुत्र संतासिह जाति तरखान (रामगढिया) निवासी चक 6 डी डी तहसील धड़साना अंकित किया जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषकग की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। दस्तावेजात के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी द्वारा वरवक्त आवंटन प्रस्तुत शपथ पत्र व सत्यापन में प्रविष्टि बख्तावरसिह पुत्र संतासिह जाति जट सिख पाई गई है। तहसीलदार द्वारा जारी राजस्थान नहर परियोजना में भूमि आवटन के लिये भूमिहीन काश्तकार का प्रमाण–पत्र में बख्तावर सिह पुत्र संतासिह जाति जट सिख दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 15.11.2021 के अनुसार प्रार्थी के बाद आवंटन पट्टा मे बख्तावसिह पुत्र संतासिह जाति जटसिख दर्ज है। आंवटन पट्टे के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे जाति जट सिख दर्ज है। उक्त तथ्यो के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2021 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है, लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2021 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 18.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर